न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीलडिक्री./टीए./671/2004/अलवर

1.राजस्थान सरकार जरिए जिलाधीश अलवर

2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, राजगढ जिला अलवर

अपीलाण्ट्स

बनाम

सेडूराम पुत्र मंगलाराम जाति कोली निवासी ग्राम मोतीवाडा तहसील राजगढ जिला अलवर ।

रेस्पोडेण्ट

खण्ड–पीठ

श्री वी. श्रीनिवास , अध्यक्ष

श्री चिरंजीलाल दायमा, सदस्य

उपस्थितः

श्री वी.पी.सिंह, राजकीय अभिभाषक अपीलाण्ट

श्रीमति ज्योति पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 29.6.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–11–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट/वादी ने अपीलाण्ट प्रतिवादी के विरूद्ध एक राजस्व वाद बाबत इस्तकरारहक उपखण्ड अधिकारी, राजगढ के न्यायालय में प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 10 ग्राम मोतीवाडा में से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जिसके नये नंबर 1061/10 रकबा 5 बीघा कायम किया गया जिस पर रेस्पोडेण्ट

काबिज काश्त चला आ रहा है । संवत 2016 में बंदोबस्त विभाग द्वारा खसरा नंबर 1061/10 के नये नंबर 13,14,121 एवं 122 बनाये गए जिसकी किस्म राजस्व रिकार्ड में बंजड तृतीय दर्ज कर दी और वादी की खातेदारी में नवीन खसरा नंबर 121 व 122 दर्ज नहीं की और खसरा नंबर 13,14 दर्ज किया गया जिसका रकबा 0.71 ही होता है । इस प्रकार 53 एयर सिवायचक बारानी दर्ज कर दी । इस कारण नवीन खसरा नंबर 121 व 122 सिवाय चक दर्ज होने के कारण रेस्पोडेण्ट/वादी को अपीलाण्ट/प्रतिवादी बेदखल करने पर आमादा है । सेटलमेट विभाग ने गलत इन्द्राज किया । अतः रेस्पोडेण्ट/वादी को खसरा नंबर 13,14,121 एवं 122 रकबा 1.25 हेक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । अपीलाण्ट/प्रतिवादी ने उक्त वाद का जबावदावा प्रस्तुत किया । उपखण्ड अधिकारी, राजगढ ने दावे व जबावदावे के आधार पर 4 तनकियात कायम कर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–2002 द्वारा रेस्पोडेण्ट/वादी का वाद खारिज कर दिया । जिसके विरूद्व रेस्पोडेण्ट ने प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के यहां प्रस्तुत की जिसे उन्होने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 10–11–2003 द्वारा स्वीकार कर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया ।

उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31–10–2002 के द्वारा वादी के वाद को निरस्त कर दिया । उन्होंने अपने निर्णय में यह माना है कि तनकीवार निर्णय अनुसार वादी अपने वाद को प्रमाणित करने में असफल रहा है । वादी ने संवत 2020 का मिलान क्षेत्रफल भी प्रस्तुत नहीं किया है । संवत 2046–65 का मिलान क्षेत्रफल भी आंशिक पेश किया है वादी अपने वाद का प्रमाणित करने में असफल रहा है जिससे वादी का वाद खारिज किया है ।

रेस्पोडेण्ट ने उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्व प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी , अलवर के यहां प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 11–10–2003 द्वारा स्वीकार किया गया उन्होंने अपने निर्णय में यह माना है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा खसरा नंबर 121 व 122 को

सिवाय चक दर्ज करने की कार्यवाही उनके क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गई कार्यवाही है। चूंकि वादी पूर्व से ही खसरा नंबर 13 व 14 का खातेदार अंकित था अतः वादी को खसरा नंबर 13,14,122, 121 कुल रकबा 1.25हेक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है । जमाबन्दी संवत 2038 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी खसरा नंबर 1061/10 रकबा 5 बीघा का खातेदार है । सेटलमेंट विभाग की कार्यवाही के दौरान खसरा नंबर 1061/10 के नये नंबर 13,14, 121 122 अंकित किए गए जिनमें खसरा नंबर 13 का रकबा 0.10 हे. 14 का रकबा 0.61हे0, 121 का रकबा 0.37 हे0 122 का रकबा 0.16 हे0 कुल रकबा मिलाकर 1.25 हेक्टेयर होता है तथा 5 बीघा भूमि का रकबा भी रूपांतरित करने पर 1.25 हेक्टेयर ही होता है । खसरा नंबर 13,14,121, 122 का अंकन वादी की खातेदारी में होना चाहिए था जबकि सेटलमेंट विभाग द्वारा केवल खसरा नंबर 13 व14 का ही अंकन वादी की खातेदारी में किया गया है । नक्शा ट्रेस से भी स्पष्ट होता है कि खसरा नंबर 13,14,121, 122 एक जगह है एक साथ लगे हुए खसरा नंबर है जो सभवतः वादी की खातेदार का ही भाग है । इस कारण सेटलमेंट विभाग की कार्यवाही के दौरान भी इन्हें सिवाय चक दर्ज कर दिया परन्तु सरकार की ओर से इस बारे में कोई तथ्यात्मक तथा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे साबित हो कि खसरा नंबर 121, 122 सेटलमेंट से पूर्व भी सिवाय चक दर्ज थे । चूंकि वादी के नाम केवल खसरा नंबर13,14 की खातेदारी अंकित की है जिसका रकबा 0.71 हेक्टेयर होता है जबकि 5 बीघा का रकबा 1.25 हेक्टेयर होता है । अतः वादी को अधिकार है कि वह अपना रकबा पूरा करवाए। ऐसी स्थिति में खसरा नंबर 121, 122 भी खसरा नंगर 13,14 के साथ ही अपीलार्थी/वादी की खातेदारी में अंकित किया जाना उचित है और वह सम्पूर्ण चारों खसरा नंबरों का खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है । अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 10–11–2003 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादी द्वारा अपना दावा स्पष्ट नहीं किए जाने से दावा खारिज किया गया था । मिलान क्षेत्रफल से स्थिति स्पष्ट नहीं होती । वादी के खसरा नंबर 1061/10 से खसरा नंबर 13 व 14 ही बने थे जिनका रकबा 0.71 हेक्टेयर बनता है । खसरा ंनबर 121 व 121 व 122 जो बने वह 10 मिन से बने है। यह खसरा नंबर 1061/10 से नहीं बने है । नक्शा ट्रेस के अनुसार यह खसरा नंबर compect के रूप में नहीं है । बीच में अन्य खसरा नंबर आ रहा है। मिलान क्षेत्रफल व नक्शा ट्रेस से दोनों से ही यह साबित नहीं होता हे । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जब सम्पूर्ण रकबा पर ही वादी के अधिकार साबित नहीं होता तो उसे विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उसके हक में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी नहीं की जा सकती । अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि वादी को खसरा नंबर 1061/10 में 5 बीघा भूमि का आवंटन किया था इससे यह नहीं माना जावेगा कि खसरा नंबर 121 व 122 की भूमि वादी की खातेदारी में सम्मिलित मानी जावेगी इसके अलावा नक्शा ट्रेस में ऐसा कोई अंकन नहीं है जिससे यह साबित हो कि खसरा नंबर 13, 14 की दूसरी ओर की भूमि का वह खातेदार है । अपीलीय न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों एवं नजीरों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । अतः अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय निरस्त कर उपखण्ड अधिकारी, राजगढ का निर्णय बहाल रखा जावे ।

5. रेस्पोडेण्ट के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि रेस्पोडेण्ट को खसरा नंबर 10 में से ही 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था जिसके नये नंबर 1061/10 रकबा 5 बीघा बनाया गया था । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार केवल मात्र 13 व 14 इसको बनाया गया है । खसरा नंबर 121 व 122 के रकबे को मिलाने पर ही उनका रकबा पूरा बैठता है । सेटलमेंट को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह उनके रकबे को कम करे । सेटलमेंट

को केवल मात्र पिछली प्रविष्टियों को ही दोहराना चाहिए । अतःअपील खारिज की जावे ।

6. प्रतिउत्तर में राजकीय अभिभाषक का कथन है कि खसरा नंबर 10 व 1061/10 अलग–अलग है । अतः अपील स्वीकार की जावे।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

8. यह निर्विवाद है कि रेस्पोडेण्ट सेडूराम को खसरा नंबर 10 में से 5 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था । जमाबन्दी संवत 2038 में भी सेडूराम पुत्र मंगला कौम कोली साकिन खसरा ंनबर 1061/10 रकबा 5बीधा पर गैर खातेदार दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल संवत 2046 से 2065 प्रदर्श –11 से भी स्पष्ट होता है कि खसरा नंबर 1061/10 के नये नंबर 14 बने है । खसरा नंबर 13 का रकबा 0.10 हेक्टेयर, व खसरा नंबर 1060/10 मिन बना है। इसी प्रकार खसरा नंबर 121 का रकबा 0.37 हेक्टेयर खसरा नंबर 1061/10 मिन से बना है । खसरा नंबर 122 रकबा 0.16 हेक्टेयर खसरा नंबर 10 मिन से बना है जो खसरा नंबर 121 में शामिल है । इन चारों का साबिक नंबर 5 बीघा बताया है । सेटलमेंट को इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वह खातेदार के रकबे को कम करे उन्हें तो केवल पूर्व की प्रविष्टियों को ही दोहराना होता है । यदि यह माना जाता है कि खसरा नंबर 121 व 122 सिवाय चक नंबरों से बने है तो उस संबंध में भी उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए । नक्शा ट्रेस से भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 13 , 14, 121, 122 लगे हुए हैं । किन्तु इसमें बीच में एक खसरा नंबर 16 का अंकन भी किया है । जब रेस्पोडेण्ट को 5 बीघा का आवंटन किया गया था तो सेटलमेंट के द्वारा उसके रकबे को कैसे कम किया जा सकता है । सेटलमेंट को तो उसका रकबा पूरा ही करना चाहिए । सेटलमेंट की गलतियों का खामियाजा खातेदार को नहीं दिया जा सकता है । खसरा ंनबर 121 , 122 राजकीय भूमि में ही दर्ज है एवं साबिक खसरा नंबर 10 से ही बने है । उक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में

राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है उसमें ऐसी किसी प्रकार की विधिक अनियमितता एवं तात्विक त्रुटि नहीं पाई जाती जिससे द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जा सके । अतः अपील खारिज योग्य है ।

9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह अपील खारिज की जाती है । राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10–11–2003 यथावत रखा जाता है

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य

(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष